महानिदेशक, सूचना, लोक सम्पर्क,
भाषा तथा संस्कृति विभाग, हरियाणा
दिनांक 12 अगस्त 2025
आज समाज
अम्बाला

बिजली मीटर खराबी की शिकायत मामले में आयोग ने अधिकारी पर लगाया जुर्माना

चंडीगढ़। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने बिजली विभाग, अंबाला कैंट के एक DO- cum -CA के विरुद्ध एक शिकायत के मामले में आदेश जारी किए हैं। आयोग के प्रवक्ता ने बताया की शिकायतकर्ता ने मीटर में खराबी तथा बिल में गलत MDI खपत दर्ज होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। विभाग द्वारा 30 दिसंबर 2024 को प्रयोगशाला जांच में मीटर में खराबी की पुष्टि हो जाने के बाद भी, बिल समायोजन में सरचार्ज को शामिल नहीं किया गया और यह समायोजन केवल आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के बाद ही किया गया। इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और अनावश्यक उत्पीड़न सहना पड़ा। आयोग ने इस मामले को घोर लापरवाही मानते हुए, संबंधित अधिकारी पर दो हजार रुपए का जुमार्ना लगाने और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपए का मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया है। यह राशि संबधित के अगस्त 2025 के वेतन से काटकर जमा/भुगतान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया गया है कि बिल में शेष विसंगति पर शिकायतकर्ता से चर्चा कर यह सुनिश्चित करें कि 19 हजार 254 रुपए का संशोधित बिल सही है और इस संबंध में 13 अगस्त 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजें।

डॉ. आर.सी. मिश्रा ने हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार संभाला

चंडीगढ़। डॉ. आर.सी. मिश्रा, 1989 बैच भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी, ने आज हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण (एसपीसीए) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। पूर्व में हरियाणा पुलिस में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत डॉ. मिश्रा ने कहा कि वे निष्पक्ष न्याय, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस के गंभीर कदाचार से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है तथा पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने के लिए सुधारों का सुझाव देता है।

ललित सिवाच ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य का संभाला कार्यभार

चंडीगढ़। ललित सिवाच, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने आज हरियाणा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सिवाच एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जिन्होंने राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों व हरियाणा पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो पुलिस के गंभीर कदाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है तथा पारदर्शिता व जवाबदेही के लिए सुधार सुझाता है। कार्यभार ग्रहण करते हुए सिवाच ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को विश्वास होना चाहिए कि उनकी शिकायतों का निष्पक्ष समाधान होगा और प्राधिकरण जनता व पुलिस के बीच भरोसा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आज समाज अम्बाला